न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :13/2019

अपीलांट

1. बाबुराम पुत्र गोवाराम जी, जाति कोली, निवासी रानाडी, तहसील रेवदर, जिला सिरोही
2. जोजुदेवी बेवा गोवारामजी, जाति कोली, निवासी रानाडी, तहसील रेवदर, जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. करमीराम खोले(गोदी पुत्र) धुडाजी, जाति कोली, निवासी रानाडी, तहसील रेवदर जिला सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री दिनेश कुमार सुराणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री हंसराज पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 12/12/2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2016 बउनवान करमी खोले धुड़ा जी बनाम बाबुराम में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। विधि अनुसार जहां हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

तकनीकि बिन्दु को गौण रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत माना गया है। इस अनुसार अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा रानाडी तहसील रेवदर के खसरा नंबर 94 से 98 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 93/1297 में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के अलावा बाबुराम, रमेश कुमार पिसरान भला, भेराराम, मुकेश पिसरान माना, त्रिजा पुत्री माना, वेला, गोवा, रूपा जगमाल पिसरान केसा खातेदार कृषक है। गोवा द्वारा उसके हिस्से की कृषि भूमि को शारदादेवी को विक्रय किया है। जिन्हे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने उक्त मुकदमें में पक्षकार नहीं बनाया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को प्रकरण के नोटिस की तामिली विधिवत नहीं करवाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पंजिकृत डाक से नोटिस गलत रूप से जारी किया है। अपीलाण्ट को पंजीकृत डाक से जारी किया गया नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी पर उपस्थित रहने से वंचित रहे है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की कृषि भूमि में आने जाने का रास्ता मौके पर कदीमी विध्यमान है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट की कृषि भूमि 93/1297 है। राजस्व नक्शे में खसरा संख्या 93 का तरमीम नहीं हुआ है। खसरा संख्या 93 एक बहुत बड़ा चक है। जिसमें अनेको लोगो की कृषि भूमि स्थित है। जिससे अपीलाण्ट की कृषि भूमि खसरा संख्या 93 की भूमि किस स्थान पर स्थित है। इसकी पुष्टी राजस्व नक्शें से नहीं होती है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान राज्य को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। राजस्थान राज्य धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी वैधानिक जांच के आलौच्य एक तरफा आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता कायम है एवं उसी रास्ते से अपीलाण्ट एवं अन्य सहखातेदार उनकी कृषि भूमि में आते जाते रहे है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए– RRT 2019(1) Page-403, RRT 2022(2) Page 1096

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा रानाडी तहसील रेवदर के खसरा नंबर 94 से 98 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 93/1297 में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार रेवदर से वादग्रस्त आराजी के संबध मे जांच रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार रेवदर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रेवदर की जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो की गहनता से अवलोकन कर निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत संक्षिप्त कार्यवाही/प्रक्रिया अपनाते हुए काश्तकारों को राहत प्रदान करने के प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध हुआ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध होने पर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– 2015(2)RRT 1003, 2016(1)RRT 440

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी मौजा रानाडी तहसील रेवदर के खसरा नंबर 94 से 98 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 93/1297 में से रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली में आगामी तारीख नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को नोटिस दिनांक 16.11.2017 को पंजीकृत डाक से भिजवाया गया, जिसकी रजिस्ट्री की रसीद पत्रावली के संलग्न है। उक्त नोटिस की पावती एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होने की दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन को तामील मानते हुए आगामी कार्यवाही की है। यह स्थिति सिविल प्रकियां संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 9 के अनुसार उचित तामिल की परिभाषा में शुमार होने से पर्याप्त तामील मानी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

जाती है। इसके पश्चात तहसीलदार रेवदर से मौका व जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। दिनांक 06.08.2019 को तहसीलदार रेवदर द्वारा प्रस्तुत मौका/जांच रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी जैर अपील आदेश का विधिक परीक्षण करने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का आद्योपंत परीक्षण किया तो प्रकट आया कि मौका/जांच रिपोर्ट दिनांक 06.08.2019 के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त मौका/जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तैयार की गई मौका/जांच रिपोर्ट में धारा '251 ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों का विस्तृत विवरण अंकित नहीं है, साथ ही तैयार की गई मौका /जांच रिपोर्ट जो दिनांक 06.08.2019 को तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई एवं दिनांक 02.08.2019 को मौके पर पटवारी हल्का रेवदर द्वारा तैयार की गई है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम–1955 के नियम–69 के अनुसार–

> ***"69. Enquiry and disposal of application.-*** *On receipt of an application in form 1 The Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the inspector Land Records and invite objection from the affected person The sub divisional officer after affording an opportunity of being heard to the parties and after making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved may allow the application. The application shall be decided by the Sub divisional Officer within 90 days from the date of application .*

इस प्रकार नियम 69 के अनुसार स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं या भू–अभिलेख निरीक्षक से अन्युन पद के अधिकारी से मौके की रिपोर्ट मंगाई जायेगी और उस रिपोर्ट पर प्रभावित व्यक्तियों की आपत्तियां आमंत्रित की जावेगी। उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद संतुष्ट होने पर यदि रास्ते की आवश्यकता है तथा वह केवल सुविधा के लिए नहीं है तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो नया रास्ते के प्रार्थना–पत्र को मंजूर कर सकेगा।

हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 69 के प्रावधानों की पूर्ण अवहैलना कर पटवारी हल्का की एकपक्षीय संदेहास्पद जांच/मौका रिपोर्ट के आधार पर अविधिक आदेश पारित किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के अनुसार समर्थन योग्य नहीं माना जा सकता है। विधिअनुसार मौका रिपोर्ट तहसीलदार या भू0 अ0 निरीक्षक द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी जिस पर उभयपक्षकारान को सुनने के बाद निर्णय पारित करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलेक्टर रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2016 बउनवान करमी खोले बनाम बाबुराम में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 को अपास्त किया जाकर इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार रेवदर या भू–अभिलेख निरीक्षक के स्वयं की उपस्थिति में मौका/जांच रिपोर्ट उभयपक्षों की उपस्थिति में निर्धारित प्रपत्र में तैयार करवायें और अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली